छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001

दूरभाष नंबर :– 0771–4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in Website:-https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक/97/रेरा/2023/ 082 रायपुर, दिनाँक– 05/01/2024

//परिपत्र//

विषय :– प्रोजेक्ट्स लागत परिवर्तन की स्वीकृति ऑनलाईन माध्यम से प्रदान किए जाने बाबत्।

––00––

प्राधिकरण द्वारा आदेश क्रमांक–1089, दिनाँक 16.08.2023 के माध्यम से गठित विभिन्न हितधारकों (stakeholders) की संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों के माध्यम से प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि प्रोजेक्ट्स पंजीयन पश्चात् इसकी निर्माणाधीन अवधि में ही प्रोजेक्ट्स की लागत की एनेक्चर–3,4,5 में परिवर्तन/परिवर्धन के फलस्वरूप मूल लागत से परिवर्तित हो जाती है। वर्तमान में प्रोजेक्ट्स की लागत में किसी प्रकार के परिवर्तन की स्वीकृति हेतु प्राधिकरण से ऑफलाईन अनुमोदन प्राप्त करना होता है, जिसमें अनावश्यक पत्राचार एवं समय लगता है। अतः इस संबंध में समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों से सहमत होते हुये भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–37 में प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए, निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते है :–

– प्रमोटर द्वारा प्रोजेक्ट्स की अनुमानित लागत को पोर्टल में ऑनलाईन के माध्यम से परिवर्तन किया जा सकेगा तथा यह परिवर्तन उस त्रैमासिक अवधि से लागू माना जावेगा, जिस त्रैमासिक अवधि का उल्लेख कर प्रस्तुत किया गया हो।

<u>नोटः–</u> प्रमोटर्स द्वारा स्वीकृत ले–आउट में परिवर्तन करने पर होने वाले लागत संबंधी संशोधनों पर यह परिपत्र लागू नहीं होगा। प्रमोटर्स को बार–बार प्रोजेक्ट की लागत में परिवर्तन निषेधित होगा। अनुमानित भूमि की लागत में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(माननीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)

रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर